

प्रेस नोट

थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 158/2021 धारा

354क/506/509 भादवि0 व 11/12 पाक्सो एक्ट भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी

1. थाना का नाम- मण्डुवाडीह, जनपद वाराणसी ।
2. गिरफ्तारी/बरामदगी व अन्य सराहनीय कार्य का सम्पूर्ण घटनाक्रम – श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक श्री परशुराम त्रिपाठी, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.06.2021 को उ0नि0 श्रीराम उपाध्याय मय हमराही कर्मचारीगण के मुखबीरी सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 158/21 धारा 354क / 506 / 509 भा.द.वि. व 11/12 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त कल्लू पुत्र स्व. मिठाई लाल नई बस्ती लहरतारा उम्र 58 वर्ष को नई बस्ती लहरतारा कबीर मठ के पास से कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 06.30 बजे बजाफता वकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया।
3. पूछताछ का विवरण – पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए गलती के लिए माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी। एक बार मुझे माफ करिये। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और पूछने पर बताया कि मैं अपना विस्तृत बयान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।
4. अभियुक्त का विवरण:-
 1. कल्लू पुत्र स्व. मिठाई लाल नई बस्ती लहरतारा उम्र 58 वर्ष
5. बरामदगी का विवरण – निल
6. गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान – गिरफ्तारी का दिनांक 03.06.21 समय 06.30 बजे नई बस्ती लहरतारा कबीर मठ के पास से
7. पंजीकृत अभियोग (जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी / बरामदगी हुई है) का विवरण – 1. मु0अ0सं0- 158/2021 धारा 354क / 506 / 509 भा.द.वि. व 11/12 पाक्सो एक्ट
8. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास – उक्त मुकदमें के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
9. पुलिस टीम का विवरण – SHO परशुराम त्रिपाठी , उ0नि0 श्रीराम उपाध्याय, का0 3891 दीवान अब्दुल्ला खां व का0 4309 सिन्दू कुमार
10. फोटो (पुलिस टीम व बरामद माल के साथ , अभियुक्त , पुलिस कर्मियों द्वारा मास्क धारण किया गया हो)



11. विडियो (पुलिस टिम व बरामद माल के साथ , अभियुक्त , पुलिस कर्मियों द्वारा मास्क धारण किया गया हो) – जरिये व्हाटसप प्रेषित है।